


उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड
4-सुभाष मार्ग, देहरादून
सं०-199/उ०रा०अ०वि०नि०लि०-08
दिनांक-15 अक्टूबर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम के अन्तर्गत कार्मिकों के प्रबन्धन हेतु प्रख्यापित Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation (Engineering And General Services) Service Rules, 2008 के प्राविधानुसार गठित चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर श्री संजय गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड को योगदान देने की तिथि से उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड में आवासीय अभियन्ता (सिविल) के पद पर तीन वर्ष के लिये कार्मिक विभाग के शासनादेश-4/जी०आई०/XXX(2)/2007, दिनांक-12 मार्च 2007 में निहित प्रतिबन्धों के साथ-साथ निम्न अतिरिक्त प्रतिबन्धों सहित प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर श्री संजय गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता को उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित वेतनमान रूपये 8000-13500, मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
2. श्री संजय गुप्ता को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा, किन्तु वेतन संरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
3. प्रतिनियुक्ति के दौरान ड्यूटी पर सामान्य यात्रा भत्ता, पदीय सामान्य अनुमन्यता श्रेणी अनुसार देय होगा।
4. प्रतिनियुक्ति के दौरान पैतृक विभाग में प्रतिनियुक्ति से पूर्व लागू अवकाश एवं पेंशन के नियम लागू रहेंगे।
5. प्रतिनियुक्ति के दौरान पैतृक विभाग में भविष्य निधि एवं सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत का अंशदान जारी रखेंगे।
6. पैतृक विभाग से पुष्टि होने पर पैतृक विभाग के नियमों के अनुसार अवकाश यात्रा सुविधा पाने के पात्र होंगे।
7. पैतृक विभाग के नियमों के अनुसार चिकित्सा सुविधा पाने के पात्र होंगे।
8. प्रतिनियुक्ति अवधि किसी भी समय घटाई, बढ़ाई अथवा समाप्त की जा सकती है।
9. किसी ऐसे मामले के संबंध में, जिसके लिये इस कार्यालय ज्ञाप में कोई प्राविधान नहीं किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम का विनिश्चय अन्तिम होगा।


श्री संजय गुप्ता, कनिष्ठ अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है, कि वे तत्काल कार्यमुक्त होकर प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड, देहरादून के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें।


15/10
(क०न०ल (से०नि०) ए०च०पी० थ०प०लिया०ल)
मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)

सं०-199/उ०रा०अ०वि०नि०लि०-08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री संजय गुप्ता, लेन नं०-8, चमन विहार, निरन्जनपुर, देहरादून को अतिशीघ्र योगदान करने हेतु।
5. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड, 74/1, राजपुर रोड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाँयू, पौड़ी/नैनीताल।
7. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
10. गार्ड पत्रावली।


(कर्मल (से०मि०) एच०पी० थपलियाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)